

प्रेषक.

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

सेवा में,

1. सभी अधिकारी/कर्मचारी,
मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय, श्रम विभाग,
हरियाणा राज्य।

क्रमांक: स्था0/03/2019/ 35540-740

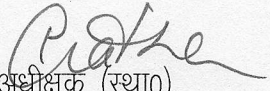
दिनांक: 24-10-19

विषय:- सेवानिवृत्त से एक वर्ष पहले पेंशन केस व छः मास पहले भविष्य निधि खाते की अदायगी हेतु पेपर भेजने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयोक्त मामले में आपको सादर सूचित किया जाता है कि प्रायः कार्यालय ध्यान में आया है कि विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी, मुख्यालय/क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपनी सेवानिवृत्ती के समय पेंशन पेपर व भविष्य निधि बारे लेखा अनुभाग को सूचित नहीं करते, जिस कारण कर्मचारियों/अधिकारियों को समय अनुसार पेंशनरी बेंनीफिट का लाभ प्राप्त नहीं होता है।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप अपनी सेवानिवृत्ती के एक वर्ष पूर्व पेंशन केस व छः मास पूर्व भविष्य निधि खाते की अदायगी बारे अपने पेपर पूर्ण रूप से भरकर लेखा अनुभाग, मुख्यालय को भेजें ताकि समय अनुसार पेंशनरी बेंनीफिट की अदायगी हो सकें और देरी से बचा जा सकें।


अधीक्षक (स्था0),

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।